न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तरण अपील 105/2008

1. रामबाबू पुत्र बादाम
2. रामोतार पुत्र बादाम
3. सारेन पुत्र बादाम
4. कमल पुत्र बादाम

समस्त जाति जाटव निवासी ग्राम खोंचपुरी तह० महवा

...अपीलांट्स

बनाम

1. कला पत्नि प्रेमसुख जाति जाटव निवासी खोचपुरी तहसील महवा जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महवा
3. रामदेई पुत्री बादाम
4. लक्ष्मी पुत्री बादाम
5. चन्द्रीकरण पुत्री बादाम
6. मोहिनी पुत्री बादाम
7. राजकुमारी पुत्री बादाम

समस्त जाति जाटव निवासी ग्राम खोंचपुरी तह० महवा जिला दौसा

....रेस्पों.

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार महवा दिनांक 19.6.2007 बाबत नामान्तरण मृतक बादाम पुत्र नत्थी, खौंचपुरी प्रकरण सं0 17/2004 उनवानी रामोतार बनाम कला आदि

उपस्थित– 1. श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता अपीलांट्स।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री सतीश पारीक, अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1

निर्णय

दिनांक 30.7.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार महवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.6.2007 जो कि प्रकरण सं0 17/2004 उनवानी रामोतार बनाम कलां आदि में पारित किया गया है, से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने दफा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि निर्णय जेर अपहील की जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व में नहीं हो सकी क्योंकि अपीलांट की ओर से अधीनस्थ तहसीलदार के यहॉ अधिवक्ता ही पैरवी करते थे तथा उक्त अधिवक्ता ने उक्त निर्णय की अपीलांट को कोई जानकारी नहीं दी। अब दिनांक 4.9.2008 को पटवारी हल्का से निर्णय के बारे में जानकारी देने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई तो प्रार्थीगण ने दिनांक 5.9.2008 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 5.9.2008 को ही प्राप्त हुई तथा दिनांक 6.9.2008 से प्रार्थीगण चिकनगुनिया व मलेरिया से पीड़ित हो गये। दिनांक 17.10.2008 को ठीक होकर दौसा आकर सलाह मशविरा कर अपील तैयार कर दिनांक 20.10.2008 को श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्याय हित में अपील में अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जाना आवश्यक है। अतः अपील पेश करने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

हुए देरी को क्षमा फरमाते हुए उक्त अपील को अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता व अधिवक्ता रेस्पों. सं0 1 ने बहस में कथन किया कि उक्त आदेश को 30 दिवस में अधिक विलंब से चुनौती दी गई है। अपीलांट्स को पूर्व में ही उक्त निर्णय की जानकारी रही है। अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। उपस्थित अधिवक्तागण की दफा 5 कानून मियाद के बिन्दु पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

4. तत्पश्चात मूल अपील पर बहस उपस्थित अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खोरी तह० महवा जिला दौसा में आराजी खसरा नंबर 331 रकबा 0.82 है0, 332 रकबा 0.82है. हिस्सा 1/2 स्थित है जिसकी खातेदारी इन्द्राज बादाम पुत्र नत्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि बादाम पुत्र नत्वी की स्वयं की बातेदारी की भूमि है। व स्वअर्जित है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नं0 3 लगा.7 मृतक बादाम के जायज व कानूनी वारिसान है तथा मृतक बादाम की मु0 सोमोती विवाहिता पत्नि है तथा शेष पुत्र व पुत्रीयां है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा गलत व अवैधानिक तरीके से वारिस प्रमाण पत्र बनवाया है जबकि ग्राम पंचायत को ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने का कोई कानूनी हक नहीं था तथा रेस्पोडेन्ट सं० 1 का बादाम की सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। कानूनन अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट सं0 3 लो० 07 के नाम ही विरासत का नामान्तरण तस्दीक किया जाना चाहिए था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने वैधानिक तरीके से रेसोडेन्ट नं० 1 के नाम भी नामान्तरण की कार्यवाही पारित करने के अवैध आदेश पारित कर दिये। पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून नियम उपनियम व न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। विवादित सम्पत्ति बादाम पुत्र नत्थी की स्वअर्जित खातेदारी भूमि है तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं0–3 ला० 07 मृतक बादाम के जायज व कानूनी वारिसान है तथा रेस्पोडेन्ट सं० 1 का बादाम से कोई लेना देना नही है ना ही वारिस व उत्तराधिकारी है बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक प्रेमसुख की पत्नि है इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा अवैध तरीके से क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिया है जिसका कि अधिकार ग्राम पंचायत को नही था क्यो कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र केवल मात्र सक्षम सिविल न्यायालय ही दे सकती है। परन्तु अधिनस्थ तहसीलदार ने उक्त अवैध व अवैधानिक ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जो कि खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एक अवैध फर्जी इकरारनाका को बताया गया है जब कि बादाम व रामौतार ने कभी भी ऐसा कोई इकरारनरमा ना तो लिखा तथा अधिनस्थ न्यायालय को इकरारनामा के आधार पर कोई अधिकार तय करने का कोई अधिकार नही था इसके बावजूद भी उक्त इकरारनामा को आधार मानकर आदेश व निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अनदेखा कर तथाउस पर कोई विचार न कर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत केवल मात्र मृतक की सम्पत्ति पर उसकी विवाहिता पत्नि व उसके पुत्र पुत्रीयो का ही कानूनन हक है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर विचार न कर निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रेस्पोडेन्ट नं० 1 को मृतक बादाम के नाते बैठने वाली बात लिखी है जब कि बादाम की विवाहिता पत्नि अपीलांट नं0 1 है। ऐसी सूरत में निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर अधिनस्थ न्यायालय ने विचार न कर निर्णय पारित करने में कानूनी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:30:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

गलती की है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना गैर कानूनी होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय तहसीलदार महवा दिनांक 19.6.07 जो प्रकरण सं० 17/2004 में पारित किया गया है को निरस्त फरमावें तथा अपीलांट व रेस्पों.सं0 3 से 7 के नाम नामान्तरण खोले जाने के आदेश फरमावें।

5. अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार महवा द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिवत रूप से पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा के समक्ष बयान हुए है। साथ ही रेस्पों. सं0 1 का कब्जा होना भी प्रमाणित पाया गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा नियमानुसार वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया है। साथ ही दिनांक 26.6.1987 की लिखावट व 3 इकरारनामों के आधार पर रेस्पों. के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ तहसीलदार महवा के द्वारा समस्त दस्तावेजों की जांच करने के उपरांत ही अपीलाधीन निर्णय विधिवत पारित किया गया है। अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार महवा के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत रूप से पारित किया गया है। अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।

7. रेस्पों. सं0 3 से 7 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

8. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. उक्त पत्रवली में अपीलांट द्वारा तहसीलदार महवा के निर्णय दिनांक 19.6.2007 बाबत नामान्तरण मृतक बादाम पुत्र नत्थी, खैंचपुरी प्रकरण सं0. 17/2004 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। हमने उक्त आदडेश का अवलोकन किया । जिसका ऑपरेटिव पार्ट इस प्रकार हैः–

" पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज, प्रस्तुत नजीरों पर गौर करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मृतक बादाम द्वारा प्रश्नगत भूमि में निहित खातेदारी भूमि में से 1/2 हिस्से का अवसान कर उक्त प्रकार से अपने जीवन में अपने भाई की पत्नि श्रीमती कलां पत्नि परमसुख के हित में किया गया एवं जिन पर वह (कलां) तन्हा काबिज होना पाया जाता है जिसको आदिनांक तक अपास्त या चेलेन्ज नहीं किया गया है या कराया गया है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। शेष 1/2 भाग पर मृतक बादाम के विधिक वारिसान रामबाबू, रामोतार, कमल, सोरेन पुत्रान बादाम, लक्ष्मी, रामदेई, चन्द्रकिरण, मोहन्तीदेवी, राजकुमारी पुत्रियान बादाम व मु. सोमोती पत्नि बादाम समभाग दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त विवेचन, साक्ष्य, दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने हेतु पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।"

10. उक्त आदेश की पत्रावली का हमने अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त निर्णय प्रार्थी एवं अप्रार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर एवं साक्ष्य एकत्रित कर पारित किया गया है। [illegible] ग्राम पंचायत को वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है इससे [illegible] नहीं है। तहसीलदार महवा द्वारा निर्णय पारित करते समय उनको [illegible] एकत्रित कर एवं ग्राम पंचायत द्वारा यदि वारिस प्रमाण [illegible] वह महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अपीलांट द्वारा इसके अतिरिक्त कोई ठोस साक्ष्य या सबूत [illegible] पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही तहसीलदार महवा का निर्णय दिनांक 19.6.2007 में किस प्रकार की या क्या त्रुटि रही है

जिला कलेक्टर,दौसा

वह सिद्ध करने में असफल रहे है। हम अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य समझते है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:09 IST
Reason: SelfAttested